



2026:AHC:14988

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 44355 /2025

अमित कुमार

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षगण

आवेदकगण के अधिवक्ता

: सुधीर कुमार अग्रवाल

विपक्षी पक्षगण के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता,

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. श्री आर. के. निषाद को सुना गया और अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे मुकदमा अपराध संख्या 249/2025, धारा 2/3, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना तितावी, जनपद मुजफ्फरनगर में विचारण के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से इस मामले में झूठा फँसाया गया है। गैंग-चार्ट में उल्लिखित आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में दिया गया है। यह भी कहा गया कि गैंग-चार्ट में दर्शाए गए सभी मामलों में आवेदक को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

आगे यह तर्क दिया गया कि आवेदक न तो किसी गैंग का सदस्य, नेता या संगठक है और न ही उसने अधिनियम की धारा 2(ब) में वर्णित किसी गैंग की गतिविधियों में सहयोग या सहायता की है। उपरोक्त मामले के अतिरिक्त उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से फरार होने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई

संभावना नहीं है। आवेदक 09.12.2024 से जेल में निरुद्ध है और यह आश्वासन देता है कि अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यदि उसे जमानत दी जाती है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। साथ ही, यह भी इंगित किया गया कि न्यायालयों में मामलों के अत्यधिक लंबित होने के कारण विचारण के शीघ्र निष्पादन की कोई संभावना नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2020) 11 एससीसी 648** के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवलोकन किया है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक मामलों का लंबित होना मात्र जमानत अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. आवेदक की जमानत प्रार्थना का प्रभावी रूप से विरोध नहीं कर सके और न ही आवेदक के विरुद्ध गैंग-चार्ट में दर्शाए गए मामले के अतिरिक्त कोई अन्य मामला इंगित कर सके।

अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों की समग्रता, प्रकरण की प्रकृति, साक्ष्यों तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों पर विचार करते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि यह जमानत दिए जाने का उपयुक्त मामला है। अतः, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

अतः यह निर्देश दिया जाता है कि आवेदक **अमित कुमार** को उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो विश्वसनीय जमानतदार संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन प्रस्तुत करे, निम्नलिखित शर्तों के साथ—

1. आवेदक किसी भी व्यक्ति, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय या पुलिस के समक्ष सत्य उजागर करने से विमुख हो, अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करेगा।
2. आवेदक अभियोजन गवाहों को दबाव में नहीं लेगा या भयभीत नहीं करेगा।
3. आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) मामले के उद्घाटन, (ii) आरोप निर्धारण तथा (iii) बयान दर्ज करने की तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
4. आवेदक यह प्रतिज्ञा-पत्र देगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, उस दिन वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर स्थगन नहीं मांगेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष, स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन की स्थिति में यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक सीमित है और इसे किसी भी प्रकार से मामले के गुण-दोष पर अभिमत के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र रूप से अपना निष्कर्ष निकालने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र रहेगा और इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित नहीं होगा।

दिनांक : 21 जनवरी, 2026

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव,)